न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —148 / 2015 अपील (RCMS/2015/00056)
पंजीयन दिनांक —10.11.2015
निर्णय दिनांक —22.01.2019

1. श्री कमलेश पिता श्री गिरधारीलाल कुमावत, निवासी धोईन्दा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द।
2. श्री खेमराज पिता श्री उदयराम कुमावत, निवासी बड़ारड़ा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द।
3. श्री कमलेश पिता श्री भंवरलाल कुमावत, निवासी नोगामा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती वलीबाई पत्नि श्री रामलाल कुमावत, निवासी नोगामा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द।
5. श्री मांगीलाल पिता श्री शंकरलाल कुमावत, निवासी नोगामा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द।
6. श्रीमती बंशीबाई पत्नि श्री कालूलाल कुमावत, निवासी नोगामा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती मनोहरी पुत्री स्व. श्री नारायण जी पत्नि श्री भंवरलाल कुमावत, निवासी पीपली आर्चायान, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री नारायण जी पत्नि श्री भंवरलाल कुमावत, निवासी सनवाड़, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द।
3. श्री ऊंकार पिता स्व. श्री नारायण कुमावत, निवासी नोगामा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द।
4. मु. रामूबाई बेवा स्व. श्री नारायण कुमावत, निवासी नोगामा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द।
5. श्री अंकित पिता प्रहलादसिंह देवल, निवासी किषोर नगर, राजसमन्द, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. ग्राम पंचायत एमडी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत एमडी, तहसील राजसमन्द।

–रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा	– वकील अपीलान्ट
2.श्री पी.सी.पालीवाल	– वकील रेस्पोडेंट–1 व 2
3. श्री सत्यप्रकाश व्यास	– वकील रेस्पोडेंट–3 व 4

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 11/2014 दिनांक 11.03.2015

निर्णय

दिनांक 22.01.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 11/2014 दिनांक 11.03.2015के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नोगामा पटवार हल्का एमडी में आराजी संख्या–565, 567, 1001 एवं 1550/597 कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि श्री स्व. श्री नारायण पिता परथा कुमावत के खातेदारी की थी। श्री नारायण जी के स्वर्गवास उपरान्त ग्राम पंचायत एमडी द्वारा नामान्तरकरण संख्या–469 दिनांक 08.06.1996 से उक्त भूमि श्री ऊंकार पुत्र श्री नारायण एवं श्रीमती रामूबाई पत्नि श्री नारायण के नाम स्वीकृत होकर दर्ज हुई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 श्रीमती मनोहरी एवं श्रीमती पुष्पा, पुत्रियां श्री नारायण द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 08.06.1996 से क्षुब्ध होकर अपील प्रस्तुत की और कथन किया कि उनके पिता श्री नारायण जी की मृत्यु उपरान्त उनके खातेदारी की भूमि उसके भाई एवं माता के पक्ष में ग्राम पंचायत ने स्वीकृत कर दिया जबकि श्रीमती मनोहरी एवं श्रीमती पुष्पा उनकी पुत्रियां होकर नैसर्गिक वारिस है।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.03.2015 से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत एमडी के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 08.06.1996 खारिज किया एवं अपील तहसीलदार, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ रिमांड की कि मृतक नारायण के विधिक वारिसान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 15.01.2019 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आराजीयात की भूमि पहले नारायणलाल के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की थी। नारायण जी का स्वर्गवास सन् 1996 से बहुत पहले से हो चुका है। कथित भूमि मौरूसी है तथा उसमें ऊंकार पिता नारायण कोपार्सनर थे तथा उसमें 1/3 हिस्सा ऊंकार पिता नारायण जी का, 1/3 हिस्सा रामूबाई का व 1/3 हिस्सा नारायण पिता परथा जी कुमावत का था यानि तीनों कोपार्सनर है तथा उस जमीन से लडंकियों का कोई सम्बन्ध नहीं था। लड़कियों की शादी नारायण जी द्वारा अपने जीवन काल में ही कर दी। उक्त जमीन पर लड़कियों का कभी भी कब्जा नहीं रहा। उक्त जमीन ऊंकार एवं रामूबाई द्वारा आगे खरीददार, जो अपीलान्ट है, को विक्रय कर दी। जमीनों को भाव बढ़ने से रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 18 वर्षो बाद मयाद बाहर अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को बिना किसी उचित कारण के अपील मयाद शुमार मानी गई। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा अपीलान्टस् को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया, जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और इसी कारण अपीलान्टस् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति पेश नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलान्टस् को पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलान्ट्स को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी और अपील पेश करने में विलम्ब हुआ जो क्षमा योग्य हैं। उक्त आराजीयात की भूमि क्रय किये जाने उपरान्त अपीलान्ट मालिक काबिज होकर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 ने अपीलान्टस् को पक्षकार बनाये बिना अपीलान्ट के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण को अपीलान्ट को सुने बिना निरस्त करने का आदेश दिया गया इस कारण अपीलांट हितबद्ध व्यक्ति होने से धारा 96 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। यह सम्पत्ति हिन्दू संयुक्त परिवार की थी तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 इस जमीन के कोपार्सनर नहीं है। कथित जमीन मौरूसी होकर नारायण, उसकी पत्नि व उसके लड़के के संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति थी। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 का कोई अधिकार होता तो वह एसडीओ कोर्ट में दावा पेश कर अपने हक अधिकार तय करवा सकते है, म्यूटेशन की स्वीकृति के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में म्यूटेशन के विरूद्ध कोई अपील लाई नहीं होती थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर कथित म्यूटेशन को निरस्त करते हुए मामला रिमाण्ड किया जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। रेस्पोडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या–1 व 2 का इंचमांत्र जमीन पर कब्जा नहीं होने से तथा उसका अगर कब्जा होता तो अधिक से अधिक कथित जायदाद में 1/9, 1/9 हिस्सा हो सकता था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति को अनदेखा करते हुए अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना जो आदेष पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है।

अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.03.2015 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया एवं निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किया है–DNJ (REV) 2015 P. 202, RRT 2006&07 P. 153, RRT 2003 (1) P. 157, AIR 2017 (PATNA) P 145, RBJ (17) 2010 P. 289, RBJ (21) 2014 P. 623, RBJ (19) 2012 P. 686, RBJ (17) 2010 P. 628, RBJ (11) 2014 P. 456, RBJ (23) 2016 P. 216 TO 226.

रेस्पोडेंटस् संख्या–1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजों से यह एक निर्विवादित तथ्य है कि श्रीमती मनोहरी एवं श्रीमती पुष्पा श्री नारायण की पुत्रियां है, जो श्री नारायण के नैसर्गिक वारिस है। दोनों पुत्रियों के अलावा श्री नारायण का एक पुत्र श्री ऊंकार एवं उसकी पत्नि श्रीमती रामूबाई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की प्रथम अनुसूची के अनुसार स्व. श्री नारायण की भूमि विरासत से दोनों पुत्रियों, पुत्र एवं पत्नि के नाम समान हक से अंकित करने के लिए नामान्तरकरण स्वीकृत होना था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दोनों पुत्रियों को बिना सुने और बिना विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो बिल्कुल गलत था। दोनों पुत्रियों ने कभी भी अपनी माता एवं भाई के नाम कोई हक त्याग विलेख निष्पादित नहीं कराया। श्री नारायण जी की भूमि में उनकी दोनों पुत्रियों का समान बराबर हक अधिकार है, जिससे उनको वंचित नहीं किया गया जा सकता है। दोनों पुत्रियां अनपढ़ महिलाएं जो केवल हस्ताक्षर करना जानती है, उन्हे नामान्तकरण की प्रकियात्मक विधि के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उन्होनें यही समझा कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी भूमियों में स्वतः वारिसों के नाम अंकित हो गई परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उनको सुने बिना एवं विधिक वारिसान की जांच न कर नामान्तरकरण स्वीकृत करने से उनको जानकारी नहीं हो सकी और जानकारी प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की। अपील देरी से पेश करने के कारण पर विचार एवं विवेचन करने उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपील को अन्दर मयाद माना। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दीयों एवं तथ्यों पर विवेचन कर प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को श्री नारायण के विधिक वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करने बाबत निर्देश दिये, जो पूर्ण विधि सम्मत है जिसे यथावत रखा जाना आवश्यक है। दौराने अपीलीय प्रकिया रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 ने जवाब प्रार्थना

पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का पेश का कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णरूप से कानूनी है, जिसमें सभी पक्षकारों को सुनकर उचित एवं न्यायिक निर्णय प्रदान किया गया है। अपीलान्ट वर्णित आराजी के मालिक व खातेदार नहीं है। अपीलान्ट वर्णित आराजी के हितबद्ध व्यक्ति नहीं है और उनको अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त खातेदारी की भूमि बिना बट़वारा कराये खरीद किया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा अपने पिता स्व. श्री नारायण की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर खोलें गये नामान्तरकरण में उनका नाम अंकन नहीं होने के कारण जिनके नाम नामान्तरकरण खोला गया उनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्टस् को किसी रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय यथावत रखा जावेंएवं निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किया है–RRT 2017(2) P. 745 (HC), RRT 2011 (1) P. 432, RRT 2016 (1) P. 371.

रेस्पोडेंटस् संख्या–3 व 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि इस तरह के किसी भी प्रकरण में पुत्रियों ने पिता की भूमियों में हिस्सा नहीं लिया इस कारण पुत्रियों का भी उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया।

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात की भूमि क्रय किये जाने उपरान्त अपीलान्ट मालिक काबिज होकर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 ने अपीलान्टस् को पक्षकार बनाये बिना अपीलान्ट के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण को अपीलान्ट को सुने बिना निरस्त करने का आदेश दिया गया इस कारण अपीलांट हितबद्ध व्यक्ति होने से धारा 96 का प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकार फरमाया जाने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत तथ्यों के मद्देनजर सुलभ न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए अपीलान्ट को तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तर्कसंगत होकर स्वीकार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, दस्तावेजों एवं निर्णय के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत एमडी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा निरस्त किया गया और अपील तहसीलदार, राजसमन्द को मृतक नारायण के विधिक वारिसान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 के खाता संख्या 52 के अनुसार उक्त जमीन का हिस्सा स्टेट बैक ऑफ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बीकानेर एवं जयपुर में रहन दर्ज स्वीकृति हुई है। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार रेस्पोडेट संख्या–4 श्रीमती रामूबाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि आगे अपीलान्ट को विक्रय की गई जो पुनः उनके द्वारा उत्तरोत्तर विक्रय की गई। विक्रय पत्रों के आधार पर अपीलान्टस् एवं क्रेतागणों के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हुए। अपीलान्ट ने यह कथन किया कि उक्त आराजीयात की भूमि क्रय किये जाने उपरान्त वह मालिक काबिज होकर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 ने कथन किया कि श्री नारायण की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई थी। प्रस्तुत तथ्यों से प्रकरण में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण निरस्त करने से पूर्व वर्तमान राजस्व रेकार्ड की स्थिति पर विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण निरस्त करने एवं तहसीलदार, राजसमन्द को प्रकरण रिमांड करने से पूर्व वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति अनुसार सभी आवश्यक पक्षकारों को सुना गया हो, या उन्हे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया हो, यह प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 11.03.2015 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द का निर्णय दिनांक 11.03.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, वर्तमान राजस्व रेकार्ड की स्थिति, दस्तावेजों का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official